

ई-इनवॉयसिंग - एक नज़र में

ई-इनवॉयसिंग क्या है?

CGST नियमों के अंतर्गत नियम 48(4) के अंतर्गत पंजीकृत (रजिस्टर्ड) व्यक्तियों के अधिसूचित (नोटिफाइड) वर्ग (जिनका वित्तीय वर्ष 2017-18 या उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है) को इनवॉयस के निर्दिष्ट विवरणों (जिनका उल्लेख FORM GST INV-01 में है) के अनुसार इनवॉयस तैयार करके उसे इनवॉयस रिजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा और एक इनवॉयस रेफरेंस नंबर (IRN) प्राप्त करना होगा।

इस प्रकार 'ई-इनवॉयिसंग' प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद अधिसूचित आपूर्तिकर्ता (नोटिफाइड सप्लायर) द्वारा क्रेता (बायर) को अन्य चीज़ों के साथ ही IRN (QR कोड-युक्त) इनवॉयस कॉपी जारी की जाती है, जिसे आमतौर पर जीएसटी में 'ई-इनवॉयस' के नाम से जाना जाता है।

नियम 48(5) के अनुसार, नियम 48(4) में निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी भी अन्य तरीके से किसी भी नोटिफाइड व्यक्ति द्वारा जारी किया गया कोई भी इनवॉयस, ई-इनवॉयस नहीं माना जाएगा।

'INV-01' को ई-इनवॉयस के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड के रूप में नोटिफाई किया गया था। इस प्रारूप यानी फॉर्मेट को 'स्कीमा' कहा जाता है। यह एक इंटिग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सप्लायर्स और बायर्स के अकाउंटिंग सिस्टम के बीच इनवॉयस के सहज आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

ई-इनवॉयसिंग प्रक्रिया:

इन दिनों अधिकांश व्यवसाय अपने इनवॉयस तैयार करने और उसके प्रबंधन के लिए कोई न कोई अकाउंटिंग/बिलिंग/ERP सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इनवॉयस (JSON प्रारूप में) को अब 'इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP)' पर रिपोर्ट किया जाएगा। IRP एक विशिष्ट (यूनीक) इनवॉयस रेफेरेंस नंबर (IRN) और एक QR कोड के साथ डिजिटली साइन किया हुआ इनवॉयस (JSON में) रिटर्न करता है।

इसका मतलब यह है कि व्यवसायों का अकाउंटिंग/ERP सिस्टम और सरकार का ई-इनवॉयस सिस्टम, इनवॉयस डेटा के आदान-प्रदान के लिए, एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। API और IRN के जेनरेशन के माध्यम से ये सभी 'मशीन-टू-मशीन' इंटरैक्शन पलक झपकते ही हो जाती हैं।

API इंटिग्रेशन के संभावित तरीके इस प्रकार हैं:

<u>टैक्सपेयर्स जिनका कुल कारोबार रु. 50- रु. 500 करोड़ है</u>

- API तक सीधा एक्सेस करने वाली कंपनियों के माध्यम से: यदि टैक्सपेयर का 'API तक सीधा एक्सेस करने वाली कंपनी' के साथ टाई-अप है यानी टैक्सपेयर उपरोक्त कंपनी के साथ अनुबन्धित है या वह उसके ERP का उपयोग करता है, तो वह उस कंपनी के माध्यम से API का इस्तेमाल कर सकता है। GSTIN (टैक्सपेयर) अपना यूज़रनेम और पासवर्ड जेनरेट करता है और जिस कंपनी का सीधा एक्सेस होता है उसकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का उपयोग करके API तक एक्सेस प्राप्त करता है।
- **ई-वे बिल APIs का एक्सेस रखने वाले टैक्सपेयर्स:** यदि टैक्सपेयर के पास ई-वे बिल APIs का सीधा एक्सेस है, तो वह ई-इनवॉयस सिस्टम का एक्सेस हासिल करने के लिए उसी क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- **GSP के माध्यम से:** GSTIN (टैक्सपेयर) अपना यूज़रनेम और पासवर्ड जेनरेट करता है और GSP की क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का प्रयोग करके API का एक्सेस प्राप्त करने के लिए GSP के साथ टाई-अप करता है।



• **ERP के माध्यम से**: GSTIN (टैक्सपेयर) अपना यूज़रनेम और पासवर्ड जेनरेट करता है और ERP की क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का इस्तेमाल करके API का एक्सेस हासिल करने के लिए ERP के साथ टाई-अप करता है।

टैक्सपेयर्स जिनका कुल कारोबार रु. 500 करोड़ से ऊपर है

उपरोक्त माध्यमों के अलावा उन्हें निम्नलिखित माध्यम से सीधा एक्सेस मिलेगा:


 API तक सीधा एक्सेस- उन्हें API तक सीधा एक्सेस मिल सकता है ERP सिस्टम से उसे इंटीग्रेट करने के लिए। इसके लिए उन्हें अपनी पब्लिक IP को व्हाइटलिस्ट करना होगा। उस एन्टिटी के हर एक GSTIN के यूज़रनेम और पासवर्ड के अलावा, उसे ई-इनवॉयस को एक्सेस करने हेतु क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिलता है।

हो सकता है कि कुछ व्यवसायों के पास अपना ERP/अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर न हो या रिपोर्ट करने के लिए बहुत कम संख्या में इनवॉयस हों। वे ई-इनवॉयस पोर्टल से फ्री ऑफ़लाइन यूटिलिटि ('बल्क जेनरेशन टूल') डाउनलोड कर सकते हैं। इसका उपयोग करते हुए IRN के जेनरेशन के लिए IRP पर इनवॉयस डेटा को आसानी से अपलोड किया जा सकता है। एक तरफ़ पोर्टल JSON फॉर्मेंट में 'मशीन-रीडेबल' (मशीन द्वारा पठनीय) इनवॉयस जारी करता है, तो दूसरी ओर इनवॉयस की 'ह्यूमन-रीडेबल' (सामान्यतः पठनीय) पीडीएफ कॉपी (सेव/प्रिंट/ई-मेल आदि के लिए) जेनरेट करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

IRN प्राप्त करने के बाद, इनवॉयस (QR कोड के साथ) प्राप्तकर्ता को उसी तरह जारी किया जा सकता है जैसे अभी किया जा रहा है। (नोट: ई-इनवॉयस के सिस्टम-टू-सिस्टम आदान-प्रदान को सक्षम बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड मेकेनिज़्म यानी एकीकृत प्रक्रिया तय समय में उपलब्ध कराई जाएगी।)



ई-इनवॉयस में शामिल प्रक्रिया का विस्तृत प्रवाह नीचे दर्शाया गया है:



ई-इनवॉयस - लाभ:

- > डेटा मिलान संबंधी समस्याओं में कमी
- > पेमेंट साइकिल (भुगतान चक्र) में सुधार
- स्टैंडर्डज़ेशन (मानकीकरण) और इंटरऑपरेबिलिटी (अन्तरसंचालनीयता)
- > बेहतर आंतरिक नियंत्रण
- > विवादों और लागतों में कमी
- > रिटर्न और ई-वे बिल का ऑटो-पापुलेशन



डॉक्युमेंट/सप्लाई जो इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं:

| डॉक्युमेंट | सप्लाई |
|-----------------|---|
| | » रजिस्टर्ड व्यक्तियों (B2B) को सप्लाई |
| > इनवॉयस | |
| » क्रेडिट नोट्स | > SEZs (भुगतान के साथ/बिना) को सप्लाई |
| > डेबिट नोट्स | एक्स्पोर्ट्स (भुगतान के साथ/बिना) |
| | > डीम्ड एक्सपोर्ट्स |
| | <u>नोट:</u> B2C इनवॉयस वर्तमान में कवर नहीं किए गए हैं |

ई-इनवॉयस की उपयुक्तता

| जहां यह लागू होता है | जहां यह लागू नहीं होता है |
|--|--|
| - उन रजिस्टर्ड व्यक्तियों के लिए जिनका सकल कारोबार (पैन आधारित) 2017-18 या उसके बाद वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा (संबंधित नोटिफिकेशन के अनुसार) से | - ई-इनवॉयसिंग से छूट पाने वाले इकाई/सेक्टर: - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयां (FTWZs सहित), बीमाकर्ता या एक बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान (जिसमें एक गैर-बैंकिंग वित्तीय |
| अधिक है | कंपनी भी शामिल है), माल परिवहन सेवाएं प्रदानकरने वाली एजेंसी (जो सड़क मार्ग से माल |
| - GSTIN वाले सरकारी विभागों (माल/ सेवाओं की सप्लाई/TDS काटने वाली | गाड़ी में माल ढोने से संबंधित सेवाएं देती हैं), यात्री परिवहन सेवा के सप्लायर, मल्टीप्लेक्स |
| इकाई के रूप में) को सप्लाई | स्क्रीन में फिल्मों के प्रदर्शन से जुड़ी सेवाओं के सप्लायर। (नोट: यह छट सप्लाई या लेनदेन की |



- एक ही पैन के तहत दो अलग-अलग GSTIN के बीच इनवॉयस
- SEZ डेवलपर्स द्वारा जारी किए गए इनवॉयस
- नोटिफाइड व्यक्ति द्वारा सप्लाई के लिए जारी किए गए इनवॉयस, लेकिन जिस पर सेक्शन 9 (3) के तहत रिवर्स चार्ज लगता हो

- प्रकृति पर निर्भर न रहते हुए पूरी इकाई के संदर्भ में है।)
- NIL रेटेड या पूर्ण रूप से छूट वाली सप्लाई
- वित्तीय/वाणिज्यिक क्रेडिट नोट
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स (ISDs) द्वारा जारी किए गए इनवॉयस
- हाई सी (अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र) सेल्स और बॉण्डेड वेयरहाउस सेल्स
- उन सरकारी विभागों को सप्लाई जिनका GST के तहत कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो
- जहां नोटिफाइड (अधिसूचित) व्यक्ति (i) अन-रजिस्टर्ड यानी अपंजीकृत व्यक्ति जो सेक्शन 9 (4) के तहत रिवर्स चार्ज को आकर्षित करता हो या (ii) सेवाओं के आयात से सप्लाई प्राप्त करता हो।

मुख्य विशेषताएं:

- IRP, वेलिडेशन पोर्टल के माध्यम से, केवल एक पास है। कुछ प्रमुख फील्ड IRP पर सत्यापित होंगे। इसलिए, IRN 200 मिलीसेकंड अवधि के दौरान तुरंत ही जेनरेट हो जाएगा। सर्वर एक साथ कई अपलोड को सपोर्ट करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके अलावा, इनवॉयस रजिस्ट्रेशन के लोड को बांटने के लिए कई IRP उपलब्ध कराए जाएंगे।
- IRP पर ई-इनवॉयस रिपोर्ट करते समय सप्लायर के हस्ताक्षर (DSC) की आवश्यकता नहीं होती है।



- > ई-इनवॉयस स्कीमा में, केवल 29 फ़ील्ड अनिवार्य हैं। अन्य सभी वैकल्पिक हैं।
- जहां ई-इनवॉयस लागू होता है, वहां ट्रिपलिकेट/डुप्लिकेट में इनवॉयस कॉपी जारी करने की आवश्यकता नहीं है। [नियम 48(6)]
- जहां ई-इनवॉयस लागू है, वहां माल की ढुलाई के दौरान ई-इनवॉयस का प्रिंट ले जाना अनिवार्य नहीं है। CGST नियमों के अंतर्गत, नियम 138 ए (2) के अनुसार, जहां ई-इनवॉयस लागू होता है: जिस किक रेफेरेंस (QR) कोड में एक अंतर्निहित (embedded) इनवॉयस रेफेरेंस नंबर (IRN) हो, उसे संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए, उस टैक्स इनवॉयस के फ़िज़िकल कॉपी के बदले इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

ई-इनवॉयस को कैसे सत्यापित करें?

कोई भी व्यक्ति ई-इनवॉयस पोर्टल पर हस्ताक्षर किया हुआ JSON फ़ाइल या QR कोड (स्ट्रिंग) अपलोड करके ई-इनवॉयस की प्रामाणिकता की पृष्टि कर सकता है: einvoice1.gst.gov.in> Search> <u>'Verify Signed Invoice'</u>

इसका विकल्प यह है कि "Verify QR Code" mobile app डाउनलोड कीजिए और ई-इनवॉयस की सत्यता की जांच कीजिए। यह ऐप इस प्रकार डाउनलोड किया जा सकता हैeinvoice1.gst.gov.in > Help > Tools > <u>Verify QR Code</u> <u>App</u>



- IRP की रिपोर्टिंग अथवा IRP के जेनरेशन के लिए 'डॉक्यूमेंट डेट' (IRP के पेलोड में) एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर होनी चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है।
- लाइन आइटमों की अधिकतम संख्या 1000 है, जिन्हें एक इनवॉयस में रिपोर्ट किया जा सकता है। इसे भविष्य में आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जाएगा।
- जीएसटी कानून/नियमों के अनुसार इनवॉयस जारी नहीं करने के लिए दंड संबंधी प्रावधान CGST/SGST अधिनियम की धारा 122 में उल्लिखित हैं।

QR कोड में शामिल ई-इनवॉयस के मुख्य तत्व :

- a. सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) का GSTIN
- b. प्राप्तकर्ता का GSTIN
- c. सप्लायर के द्वारा दिया गया इनवॉयस नंबर
- d. इनवॉयस के जेनरेशन की तारीख़
- e. इनवॉयस वैल्यू (टैक्सेबल वैल्यू और ग्रॉस टैक्स)
- f. लाइन आइटमों की संख्या
- g. मुख्य आइटम का HSN कोड (लाइन आइटम जिसका टैक्सेबल वैल्यू उच्चतम हो)
- h. यूनिक IRN (इनवॉयस रेफरेंस नंबर/हैश)
- i. IRN जेनरेशन की तारीख़



ई-इनवॉयस का संशोधन/रद्दीकरण:

इनवॉयस को आंशिक रूप से कैंसिल (रद्द) नहीं किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से कैंसिल करना होगा। इनवॉयस का कैंसिलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अन्य लागू नियमों/विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है।

एक IRN/IRP को रिपोर्ट किया गया इनवॉयस 24 घंटे के भीतर रद्द कर दिया जा सकता है। IRN को रद्द किए जाने की स्थिति में, GSTR-1 भी 'कैंसिल्ड' स्टेटस के साथ अपडेट हो जाएगा। हालांकि, यदि संबंधित ई-वे बिल ट्रांज़िट के दौरान सक्रिय है या अधिकारी द्वारा सत्यापित है तो IRN को कैंसिल करने की अनुमित नहीं है।

कैंसिलेशन विंडो की एक्सपायरी के बाद, IRP को दिए गए इनवॉयस विवरण में कोई भी परिवर्तन GST पोर्टल (GSTR -1 दाखिल करते समय) पर किया जा सकता है। यदि GSTR - 1 पहले ही फाइल किया गया है, तो GST के तहत प्रदान किए गए संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग करके किया जा सकता है।

हालांकि, इन परिवर्तनों के बारे में संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

IRN सप्लायर के GSTIN, डॉक्युमेंट नंबर, डॉक्युमेंट और वित्तीय वर्ष के आधार पर एक यूनिक स्ट्रिंग यानी एक तार की तरह है। इसलिए, जब एक IRN रद्द कर दिया जाता है, तो संबंधित इनवॉयस नंबर का उपयोग फिर से किसी अन्य ई-इनवॉयस/IRN जेनरेट करने के लिए नहीं किया जा सकता है (यहां तक कि परिमट किए गए कैंसिलेशन विंडो के भीतर भी)। यदि इसे फिर से उपयोग किया जाता है, तो IRP पर अपलोड होने पर इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

GSTR-1/2A का ऑटो-पोपुलेशन और ई-वे बिल काजेनरेशन:

- IRP में इनवॉयस विवरण की सफल रिपोर्टिंग पर, IRN सहित इनवॉयस डेटा (पेलोड)
 GST सिस्टम में सेव हो जाएगा। GST सिस्टम, इन्हें सप्लायर के GSTR-1 में, और संबंधित रिसीवर के GSTR-2A में ऑटो-पॉप्युलेट करेगा।
- 'ई-इनवॉयस' के रूप में चिह्नित सोर्स के साथ, IRN और IRN की तारीख़ को GSTR-1 और GSTR-2A में भी दिखाया जाएगा।



- ई-इनवॉयस के विवरणों का GSTR- 1 में ऑटो-पॉप्युलेशन, टैक्सपेयर्स को दी गयी मात्र एक सुविधा है। आत्म मूल्यांकन (सेल्फ असेसमेंट) के अंतर्गत, उचित कर अविध (टैक्स पीरियड) के दौरान जारी किए गए डाक्यूमेंट्स के सही ब्यौरे के साथ GSTR- 1 फ़ाइल करने का वैधानिक दायित्व टैक्सपेयर का होता है।
- जहां ई- इनवॉयस से GSTR- 1 में ऑटो पॉप्युलेट हुई डिटेल्स सप्लायर द्वारा सम्पादित/ मिटाई हुई अथवा दोबारा अपलोड की गई हैं, वहां उन GSTR- 1 की टेबल्स में 'सोर्स', 'IRN' और 'IRN date' को रिसेट कर रिक्त कर दिया जाएगा और यह GSTR- 2A में भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए IRN डिटेल्स का GSTR- 1/2A में न दिखाई देने से ये नहीं माना जाए कि वे इनवॉयस IRP को रिपोर्ट नहीं किये गए।
- यदि ई-वे बिल के पार्ट-ए और पार्ट-बी दोनों प्रदान किए जाते हैं, तो IRP को इनवॉयस विवरण रिपोर्ट करते समय उनका उपयोग ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए किया जाएगा।
- यदि IRP को इनवॉयस रिपोर्टिंग के समय पार्ट-बी का विवरण नहीं दिया जाता है, तो यह उपयोगकर्ता को IRP लॉग-इन या ई-वे बिल पोर्टल में 'ई-वे बिल' टैब के माध्यम से प्रदान करना होगा, ताकि ई-वे बिल जेनरेट किया जा सके।
- IRN जेनेरेशन के बाद, इस समय, उसी IRN का इस्तेमाल करते हुए ई-वे बिल के जनरेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

प्रमुख स्पष्टीकरण:

- वर्तमान में, ई-इनवॉयस स्वैच्छिक नहीं है, अर्थात केवल निर्धारित कुल टर्नओवर वाली इकाइयां ही IRP पर इनवॉयस की सूचना दे सकती हैं।
- अगर आपका कारोबार (टर्नओवर) चालू वित्तीय वर्ष की निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ई- इंवॉयसिंग की अपेक्षित होगी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 'कुल कारोबार' (एग्रीगेट टर्नओवर) 1-7-2017 से वित्तीय वर्ष के अंत तक माना जायेगा।



- इनवॉयस में दिखाए जाने वाले कुछ शुल्क GST के लिए देय हैं। उदाहरण के तौर पर-माल ढुलाई, बीमा, पैकिंग और फॉर्विडिंग चार्ज आदि। इन्हें इनवॉयस में एक और लाइन आइटम के रूप में जोड़ा जा सकता है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सप्लायरों (आपूर्तिकर्ताओं) द्वारा एकत्र किए गए TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) को "अन्य शुल्क (इनवॉयस स्तर)" के तहत दिखाया जा सकता है।
- INV-01 स्कीमा में "IGST Applicability despite Supplier and Recipient located in same State/UT" (IGST की प्रयोज्यता प्रदायक और आदाता के समान प्रदेश/ केंद्र शासित प्रदेश में होने के बावजूद) वाला स्थान अधिसूचना सं. 11/2018- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.05.2018
- INV-01 स्कीमा केवल IRP को निर्दिष्ट इनवॉयस विवरणों की रिपोर्ट करने के लिए है।
 एक बार जब पोर्टल से IRN प्राप्त हो जाता है, तो बायर (क्रेता) को इनवॉयस जारी करते समय बिज़नेस GST में प्रासंगिक नहीं होने वाले तत्वों को भी जोड़ सकता है।
- GST के बाहर की वस्तुओं के लिए, ऐसे व्यवसायों द्वारा अलग से इनवॉयस दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए- एक B2B सप्लाई का इनवॉयस जारी करने वाला होटल, जहां सप्लाई में खाद्य और पेय पदार्थ (GST के लिए देय) और मादक पेय (GST के बाहर) शामिल हैं।

ई-इनवॉयस पोर्टल से हस्ताक्षरित JSON (IRN/QR कोड के साथ) प्राप्त करने के बाद और प्राप्तकर्ता को इनवॉयस कॉपी जारी करते समय, सप्लायर के सिग्नेचर/डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता CGST नियम, 2017 के नियम 46 के प्रावधानों द्वारा शासित है।

- IRP इनवॉइस स्टोर नहीं करता है तथा IRP पर ई- इनवॉइस JSON को डाउनलोड करने की सुविधा भी सीमित दिनों के लिए ही उपलब्ध है। इसलिए करदाताओं (टैक्सपेयर्स) को इस बात का ध्यान रखना होगा।
- ई-इनवॉयस व्यवस्था में भी, माल परिवहन करते समय, जहां कहीं भी ई-वे बिल की आवश्यकता है, वहां यह अनिवार्य रूप से जारी रहेगी।



B2C डायनामिक QR कोड के बारे में:

अधिसूचना संख्या 14/2020-केंद्रीयकर दिनांक 21 मार्च, 2020 (संशोधित) के अनुसार कुछ इकाइयों को अपनी B2C इनवॉइस में एक गतिशील (डायनामिक) क्रिक रेस्पांस कोड (QR Code) शामिल करना अनिवार्य है। यह एक अलग आवश्यकता है और इसकी कोई प्रासंगिकता अथवा इसकी, नियम 48 (4) के तहत 'ई-इनवॉयसिंग' के संदर्भ में कोई प्रासंगिकता या उपयोगिता नहीं है।

CBIC द्वारा डायनामिक QR Code (क्यू-आर कोड) की प्रयोज्यता के बारे में जारी किए गए स्पष्टीकरण को यहाँ देखा जा सकता है।

ई-इनवॉयस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

मुझे उन सभी करदाताओं की सूची कहां मिल सकती है जिन्हें ई-इनवॉइस जारी करना आवश्यक है?

ऐसी सटीक सूची बनाना मुश्किल है क्योंकि ई-इनवॉइस (जैसे कि टर्नओवर सीमा पार करना, छूट, आपूर्ति की प्रकृति आदि) के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति डायनामिक प्रकृति की है।

हालाँकि, जीएसटीआईएन (GSTINs) की सूची के पात्र जो योग्य हैं और / या वास्तव में आईआरएन उत्पन्न कर रहे हैं,यहां प्रकाशित हैं:

https://einvoice1.gst.gov.in/Others/GSTINsGeneratingIRN

इसके अलावा,यह सम्बद्ध करदाता का दायित्व है कि वह परिस्तिथि की जांच करे और कानून का पालन करे जबकि प्राप्तकर्ता (रेसिपीएन्ट) इस तथ्य की अपने आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) से पुष्टि करे।



मैं एक खरीदार हूं। मेरे कुछ आपूर्तिकर्ताओं के लिए, आईआरपी पर स्थिति को 'ई-चालान के लिए सक्षम'(इनेबल्ड फ़ॉर ई- इनवॉइस) के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, मेरा सप्लायर कहता है कि ई-चालान उनके लिए लागू नहीं है। इस बारे में क्या किया जाए?

कृपया ध्यान दें कि ई-इनवॉइस पोर्टल पर यदि टैक्सपेयर या करदाता का दर्जा (स्टेटस) एनेबल्ड अर्थात सक्षम है तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि करदाता ई-इनवॉइस जारी करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

'एनेबल्मेंट' या 'सक्षमता' 'मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केवल वह करदाता, जिनका टर्नओवर या कारोबार अधिसूचित सीमाओं के अंदर है (और किसी भी प्रकार का करदाता नहीं) ही ट्रायलपोर्टल / आईआरपी पर इनवॉइसका पंजीकरण और परीक्षण / रिपोर्ट करने में सक्षम हैं।

एनेबल्ड या सक्षम GSTIN की लिस्टिंग पूरी तरह से GSTR-3B के टर्नओवर मापदंड पर आधारित थी, जैसा GST सिस्टम को रिपोर्ट किया गया था। इसलिए, इसमें वे इकाईयां शामिल हो सकती हैं, किसी मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए, जिनके लिए ई-इनवॉइसिंग किसी कारण से लागू नहीं हो सकता है। इस प्रकार, यह संबंधित करदाता (खरीदार और आपूर्तिकर्ता दोनों) को पुष्टि करनी है कि अधिसूचना या नियमों के अनुसार शर्तों की पूर्ति, या अन्यथा, हुई है।

अधिसूचना / नियमों के अनुसार, हम ई-इनवॉइस करने वाले हैं, लेकिन पोर्टल पर हमारे जीएसटीआईएन को 'नॉट एनेबल्ड' के रूप में दिखाया गया है। क्या करें?

किसी भी पंजीकृत व्यक्ति के लिए, नियम 48 (4) के संदर्भ में चालान तैयार करना आवश्यक है, लेकिन पोर्टल पर सक्षम नहीं होने पर, वह पोर्टल पर सक्षम करने के लिए अनुरोध कर सकता है: - 'Registration -> e-invoice Enablement'

('रजिस्ट्रेशन -> ई-इनवॉइस एनेबल्मेंट)।



मैंने एक इनवॉइस के लिए IRN जेनरेट किया है। इनवॉइस में विसंगति है और आपूर्ति भी नहीं हुई है, इसलिए, मुझे इसे अपने सिस्टम में रद्द करना पड़ा। हालाँकि, मैं IRN को IRP पर रद्द नहीं कर सका क्योंकि रद्द करने की अवधि (24 घंटे) समाप्त हो गई है। क्या करें?

प्राप्तकर्ताओं को निर्दिष्ट दस्तावेज़ जारी करने से पहले अधिसूचित करदाताओं द्वारा IRN प्राप्त करना एक कानूनी आवश्यकता है। आईआरएन जनरेशन के बाद, आईआरपी पर संशोधन संभव नहीं हैं और आईआरएन को रद्द करने की अनुमित केवल एक समयाविध के भीतर है। इसलिए, कर अविध के दौरान वास्तव में जारी किए गए इनवॉइस का विवरण जीएसटी आर-1 में सूचित किया जाना चाहिए।

जीएसटी आर -1 कर अविध के अंत में करदाता द्वारा बाहरी आपूर्ति (आउटवर्ड सप्लाई) का अंतिम और स्व-मूल्यांकित वैधानिक वक्तव्य (स्टेट्यूट्री स्टेटमेंट) है। जीएसटी आर -1 तालिकाओं में ऑटो पॉप्युलेट हुई ई-इंवॉइसेस में, , कर अविध के दौरान वास्तव में रद्द किए गए दस्तावेजों के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, करदाता वह विवरण हटा देंगे।

ई-इनवॉयस जारी करते समय क्या प्रिंट किया जाना है?

| इन्हें प्रिंट करें | इन्हें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं |
|---|-----------------------------------|
| नियम 46/53 के अनुसार विवरण, जिसमें IRN युक्त QR कोड शामिल है नोट: प्रिंटेड QR कोड एक QR कोड रीडर द्वारा पठनीय होने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन इनवॉइस पर इसका आकार व स्थान, व्यवसायों की प्राथमिकता के अनुसार रखा जा सकता है। | अक्नॉलेज्मेंट दिनांक IRN |



कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़राब होने के मामले में, क्या IRN प्राप्त करने की अनिवार्यता में कोई छूट होगी?

ऐसी आकस्मिक स्थितियों में छूट प्रदान करने के लिए एक स्थानीय तंत्र बनाया गया है।

CGST नियमों के नियम 48(4) के अनुसार: आयुक्त (किमश्नर), काउंसिल की सिफ़ारिशों पर, अधिसूचना के द्वारा, एक व्यक्ति या रिजस्टर्ड व्यक्तियों के एक वर्ग को इस उप-नियम के तहत एक विशेष अविध के लिए इनवॉयस जारी करने में छूट प्रदान कर सकता है। यह छूट उन शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार होगी, जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट होंगे।

सामग्री:

ई-इनवॉइस पर और FAQs या अधिकतर पूछे गए प्रश्न, यहां देखे जा सकते हैं:

https://www.gstn.org.in/e-invoice-faqs

API इंटीग्रेशन स्पेसिफिकेशन, डेवलपर के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध हैं: https://einv-apisandbox.nic.in/

एक विस्तृत डॉक्यूमेंट <u>'e-invoice- Detailed Overview'</u> उपलब्ध है।

ई-इनवॉयस संबंधी सूचनाओं से संबंधित कई वीडियो GSTN के <u>YouTube चैनल पर 'e-invoice' प्लेलिस्ट</u> में उपलब्ध हैं।

अन्य सहायताः

GSTR-1 में APIs/सैंडबॉक्स/ ई-इनवॉयस पोर्टल/ऑफ़लाइन यूटिलिटी/ऑटो-पोपुलेशन आदि किसी भी तकनीकी समस्या के लिए, कृपया **GST Self-Service Portal** (https://selfservice.gstsystem.in/) पर शिक़ायत दर्ज करें।

ई-इनवॉयस पर किसी अन्य प्रतिक्रिया और सुझाव का e-invoice@gstn.org.in पर स्वागत है।
